"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 नवम्बर 2005—कार्तिक 27, शक 1927

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2005

क्रमांक ई-1-2/2005/एक/2.—श्री नंदकुमार, भा. प्र. से. (एमएच : 1989), सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग एवं सामान्य प्रशासन (सूचना का अधिकार) विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, सूचना आयोग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2005

क्रमांक एफ 2-19/2004/1-8.—श्री के. आर. मिश्रा, उप सचिव को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से संयुक्त सचिव के पद पर वेतनमान रु. 14300-400-18300/- में पदोन्नत करते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग में पदस्थ किया जाता है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर पदोन्नति के संबंध में नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2005

क्रमांक एफ 7-15/2005/1/6.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 15 (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर श्री ए. के. विजयवर्गीय (वर्तमान मुख्य सचिव) को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हैं.

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2005

क्रमांक एफ 7-16/2005/1/6.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 की उपधारा (2) (ख) एवं (ग) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 24 (4) के तहत निम्नांकित संस्था/शाखा/संगठन को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों से छूट प्रदान करता है:—

1. छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल
2. पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा एवं इस शाखा से सीधे अधीन मैदानी कार्यालय
3. पुलिस अधीक्षकों के अधीन जिला विशेष शाखा
4. नक्सली गतिविधियों से संबंधित गठित विशेष आसूचना शाखा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्द कुमार, सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2005

क्रमांक ई-1-19/2005/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री ए. के. विजयवर्गीय, भा.प्र.से. (सी.जी.-1969) द्वारा सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 22-10-2005 के प्रकाश में ऑल इंडिया सर्विसेज (डेथ-कम-रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स) नियम 1958 के नियम 16(2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्धारित 90 दिवस की कालावधि में छूट प्रदान कर उन्हें दिनांक 7-11-2005 पूर्वान्ह से सेवानिवृत्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणु जी. पिल्ले, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2005

क्रमांक ई-7/15/2003/1/2.—श्री आर. पी. जैन, भा.प्र.से., विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 31-10-2005 से 11-11-2005 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 30-10-2005 एवं 12 व 13-11-2005 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जैन, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री जैन, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जैन, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2005

क्रमांक ई-7-30/2004/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10-10-2005 द्वारा श्री शैलेश पाठक, भा.प्र.से., राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर को दिनांक 10-10-2005 से 5-11-2005 तक (27 दिवस) का स्वीकृत की गई अर्जित अवकाश में से दिनांक 20-10-2005 से 5-11-2005 तक (17) का अर्जित अवकाश एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

आदिमजाति तथा अनु. जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2005

क्रमांक 7335/1337/2005/25-1/आजाक.—विभाग में स्नातकोत्तर उच्च श्रेणी शिक्षक/प्रधान पाठक (माध्यमिक शाला) से व्याख्याता के पद पर पदोन्नति हेतु राजपत्रित सेवा भर्ती नियम-1969-आंशिक संशोधन, 1992 की अनुसूची-4 के अनुक्रमांक-27 के अनुसार निम्नानुसार पदोन्नति समिति का प्रावधान है:—

1. अपर आयुक्त/संचालक, आदिमजाति शिक्षा — अध्यक्ष
2. अपर संचालक, शिक्षा — सदस्य
3. अपर संचालक (सामान्य स्थापना) — सदस्य
4. उपायुक्त शिक्षा स्थापना — सदस्य

2. राज्य शासन एतद्द्वारा उपरोक्त समिति के स्थान पर निम्नानुसार पदोन्नति समिति गठित करता है:—

1. आयुक्त/संचालक, आदिमजाति तथा अनु. जाति विकास — अध्यक्ष

2. अपर संचालक	सदस्य
3. उपायुक्त/प्रभारी अधिकारी (शालेय शिक्षा)	सदस्य
4. उपायुक्त (सामान्य स्थापना)	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वाय. एस. बेले, अवर सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2005

क्रमांक एफ 21-07/2005/नौ/55.— राज्य शासन एतद्द्वारा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्रदेश में राज्य स्वास्थ्य समिति, छत्तीसगढ़ का गठन करता है. तदनुसार उक्त समिति में एक शासी निकाय होगा, जिसके पदाधिकारी निम्नानुसार होंगे:—

1. मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	उपाध्यक्ष
3. मिशन संचालक	संयोजक
4. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
5. सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
6. सचिव, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग	सदस्य
7. सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	सदस्य
8. सचिव, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	सदस्य
9. सचिव, नगरीय विकास विभाग	सदस्य
10. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें	सदस्य
11. संचालक, भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी	सदस्य
12. भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य

2. उक्त शासी निकाय में विकास कार्यक्रमों के सहयोगी जैसे यूनीसेफ, केयर, डेनिडा, इत्यादि के प्रतिनिधि तथा 4 से 6 नामांकित अशासकीय सदस्य होंगे.

3. उक्त शासी निकाय की बैठक 6 माह में एक बार या यथा आवश्यकतानुसार आयोजित की जायेगी एवं इसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्य योजना को मंजूरी देना होगा. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्र में संस्थागत सुधार तथा अंतर्विभागीय समन्वय संबंधी प्रस्ताव पर विचार करना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यों को दिशा निर्देशन करना भी इसके कार्य में सम्मिलित होगा.

4. राज्य स्वास्थ्य समिति छत्तीसगढ़ में एक कार्यकारी समिति भी होगी, जिसके पदाधिकारी निम्नानुसार होंगे :—

1. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	अध्यक्ष
2. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें	उपाध्यक्ष
3. मिशन संचालक	संयोजक
4. संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी	सदस्य
5. विभिन्न कार्यक्रमों के राज्य कार्यक्रम अधिकारी	सदस्य
6. परियोजना संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति	सदस्य
7. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य

8. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
9. शिक्षा विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
10. महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
11. भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य

5. कार्यकारी समिति को बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जायेगी.

6. समिति के कार्यों में कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा के साथ ही विस्तृत व्यय प्रस्ताव का अनुमोदन, जिला योजनाओं का अनुमोदन तथा राज्य कार्य योजना का क्रियान्वयन के साथ ही जिला स्वास्थ्य समितियों को राशि का आवंटन एवं अंतर्विभागीय समन्वय सम्मिलित है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. शालवार, उप-सचिव.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2005

क्रमांक एफ-5-70/दो/आठ-परि/2005.— राज्य शासन, वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाईजेशन का भारत सरकार के साथ हुए समझौते के अंतर्गत मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 11 के तहत वाहन क्रमांक सी. जी.-04-बी-3049, जो पल्स पोलियो से संबंधित जन स्वास्थ्य के कार्य हेतु प्रयोग में लाई जाती है, को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर से एतद्द्वारा छूट प्रदान की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल टुटेजा, उप-सचिव.

ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2005

क्रमांक- एफ 1-27/2005/(6)52.— राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के गठन की अधिसूचना क्रमांक-एफ 1-8/03/(6)52 दिनांक 21 जुलाई, 2004 में निम्नलिखित संशोधन करता है:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में :—

कंडिका- (अ) के वाक्यांश ''बोर्ड के अध्यक्ष माननीय ग्रामोद्योग मंत्री जी होंगे'' के स्थान पर ''बोर्ड के अध्यक्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त व्यक्ति होंगे'' स्थापित किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अवर सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2005

क्रमांक एफ-4-9/04/16.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से विमर्श तथा केन्द्रीय शासन के अनुमोदन के पश्चात् छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि दिनांक 1-4-2006 अथवा उसके पश्चात् से उक्त अधिनियम के प्रावधान संलग्न अनुसूची में उल्लेखित संस्थानों में प्रवृत्त होंगे.

अनुसूची

संस्थानों का विवरण (1)	क्षेत्र जहां संस्थान स्थित हैं (2)
शैक्षणिक संस्थायें (निजी, अनुदान प्राप्त अथवा आंशिक अनुदान प्राप्त) जिनका संचालन व्यक्तियों, न्यासधारियों, समितियों अथवा अन्य संस्थाओं द्वारा किया जाता है, जिनमें 20 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं अथवा 12 महीने की पूर्व अवधि में कार्यरत रहे हों.	जिन क्षेत्रों में अधिनियम की धारा 1(3) तथा 1 (5) के द्वारा योजना पहले से प्रवृत्त की जा चुकी है.

No. F-4-9/04/16.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (5) of Section 1 of the Employees State Insurance Act, 1948, the government of Chhattisgarh, in consultation with the Employees State Insurance Corporation and with the approval of the Central Government, hereby gives notice of its intention to extend the provisions of the said Act to the classes of establishments specified in the schedule annexed hereto, on or after 1-4-2006.

SCHEDULE

Description of establishments (1)	Areas in which the establishments are situated (2)
Educational institutions (including private, aided or partially aided) run by individuals, trustees, societies or other organizations, where in 20 or more persons are employed or were employed on any day of the preceding twelve months.	Areas where the Scheme has already been brought into force under Sce. 1 (3) and 1 (5) of the Act.

रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2005

क्रमांक एफ-1-18/2005/16.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (क्रमांक 14 सन् 1947) की धारा 7 तथा धारा 33-बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विषय पर पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को निष्प्रभावित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा :—

(अ) उक्त अधिनियम के अधीन द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित किसी भी विषय से संबंधित औद्योगिक विवादों का न्याय निर्णय करने तथा

ऐसे कृत्यों को जो उन्हें सौंपे जायें, पालन करने के लिये नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में उल्लेखित श्रम न्यायालयों का गठन करता है तथा उक्त सारणी के कालम (3) में तत्स्थानीय प्रविष्टि में उल्लेखित व्यक्तियों को उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में पूर्वाक्षेपी प्रभाव से उनके द्वारा संबंधित श्रम न्यायालयों का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है :—

सारणी

अ. क्र. (1)	नाम श्रम न्यायालय (2)	पीठासीन अधिकारी का नाम (3)
1.	श्रम न्यायालय, दुर्ग	श्री ए. के. चौकसे
2.	श्रम न्यायालय, बिलासपुर	श्री एस. के. त्रिपाठी
3.	श्रम न्यायालय, रायगढ़	श्री एस. के. टाइटस
4.	श्रम न्यायालय, रायपुर	श्री ए. के. चौकसे
5.	श्रम न्यायालय, जगदलपुर	श्री प्रदीप कुमार सोनी
6.	श्रम न्यायालय, राजनांदगांव	श्रीमती शशि सोनी
7.	श्रम न्यायालय, अंबिकापुर	श्री एस. एल. मात्रे
8.	श्रम न्यायालय; कोरबा	श्री ए. के. सनोठिया

(ब) उक्त एक्ट के अधीन समस्त कार्यवाहियां जो पूर्व की अधिसूचनाओं के अधीन संबंधित स्थानों पर गठित श्रम न्यायालयों के समक्ष लंबित थी, उक्त श्रम न्यायालयों से प्रत्याहरित करता है और उन्हें वर्तमान अधिसूचना के अधीन गठित तत्स्थानीय श्रम न्यायालयों को अंतरित करता है और आदेश देता है कि वे श्रम न्यायालय जिनको कार्यवाहियां उक्त प्रकार से अंतरित की गई, उक्त कार्यवाहियां उस प्रक्रम से आगे चलावेंगे, जिस पर कि वे उक्त प्रकार से अंतरित हुई है.

No.F-1-18/2005/16.— In exercise of the powers conferred by Section 7 and Section 33-B of the Industrial Disputes Act, 1947 (XIV of 1947) and in supersession of all previous Notifications issued in this behalf, the State Government hereby;—

(A) Constitutes the Labour Courts specified in column (2) of Table below for the adjudication of Industrial Disputes relating to any matter specified in the second schedule and for performing such other functions as may be assigned to them under the said Act, and appoints the persons specified in the corresponding entry in column (3) of the said table as the Presiding Officers of the said Courts with retrospective effect from the date of taking over charge by them of the Labour Court concerned :—

TABLE

S.No. (1)	Name of Labour Court (2)	Name of Presiding Officer (3)
1.	Labour Court, Durg	Shri A. K. Choukse
2.	Labour Court, Bilaspur	Shri S. K. Tripathi
3.	Labour Court, Raigarh	Shri S. K. Titus
4.	Labour Court, Raipur	Shri A. K. Choukse
5.	Labour Court, Jagdalpur	Shri P. K. Soni
6.	Labour Court, Rajnandgaon	Smt. Shashi Soni
7.	Labour Court, Ambikapur	Shri S. L. Matre
8.	Labour Court, Korba	Shri A. K. Sanothiya

(B) Withdraws all proceedings under the said Act pending before the Labour Court constituted under previous Notification at the place concerned and transfers them to the corresponding Labour Courts constituted under the present Notification and direct that the Labour Court to which proceedings are transferred shall proceed with them from the stage at which they are transferred.

रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2005

क्रमांक एफ 11-6/श्र.स.प./16/2004.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9-9-2004 में आंशिक संशोधन करते हुये, छ.ग. श्रम सलाहकार परिषद् के गठन, कार्यप्रणाली एवं नियमन संबंधी नियमों के अधीन राज्य शासन एतद्द्वारा छ.ग. श्रम सलाहकार परिषद् का गठन करता है.

1. पदेन सदस्य—

1. माननीय श्रम मंत्री	अध्यक्ष
2. सचिव श्रम/श्रम आयुक्त	सदस्य/सचिव
3. सचिव, स्थानीय संस्थाएं नगरीय निकाय	सदस्य
4. आयुक्त, गृह निर्माण मण्डल	सदस्य
5. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)	सदस्य
6. क्षेत्रीय आयुक्त भविष्य निधि संगठन	सदस्य
अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, श्रम कल्याण मण्डल	सदस्य

2. नियोजकों के प्रतिनिधि—

1. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल सचिवालय डंगनिया, रायपुर	सदस्य
2. महाप्रबंधक, बालको कोरबा	सदस्य
3. महाप्रबंधक, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई	सदस्य
4. उपाध्यक्ष, सेंचुरी सीमेंट, बैकुण्ठ	सदस्य
5. उपाध्यक्ष, प्रकाश इंडस्ट्रीज, चांपा	सदस्य
6. महाप्रबंधक, बी.ई.सी. भिलाई	सदस्य
7. श्री महेश कक्कड़, उरला इंडस्ट्रीज एसोशियेशन रायपुर	
8. श्री एम. एल. राठी, लघु उद्योग भारती डुंगाजी कालोनी, आयुर्वेदिक कालेज के पास, जी ई रोड, रायपुर.	

3. श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि—

1. श्री अरूण चौ, रेल्वे स्टेशन के सामने, राजिम, बी. एम. एस.	सदस्य
2. श्री योगेश चन्द्र शर्मा, गुरूबन निवास, राजेन्द्र नगर बिलासपुर, बी. एम. एस.	सदस्य
3. श्री राम अवतार, अलगमकर, आई.एन.टू.यू.सी.	सदस्य
4. श्री हरनाम सिंह, मकान नं. 874/बी सेक्टर-3 बालको नगर कोरबा, ए. आई. टी. यू. सी.	सदस्य
5. श्री एस. सुदेवन, क्वा. नं. 11 बी/16 विश्रामपुर कालोरी, जिला सरगुजा सी. आई. टी. यू.	सदस्य

6. श्री प्रकाश शर्मा, अध्यक्ष, प्रेस क्लब रायपुर ब्राम्हण पारा, रायपुर
7. श्रीमती लता दीक्षित, ग्रामीण महिला श्रमिक संगठन, साजा, जिला दुर्ग
8. श्री तपन चटर्जी, अध्यक्ष, छ.ग. इंटुक आई. एन. टी. यू. सी. सदस्य

4. **अध्यक्ष द्वारा मनोनीत—**

1. श्री काशीनाथ शर्मा, ब्रहमणपारा, दुर्ग.
2. श्रीमती रोहिणी पाटनकर, पद्मनाभपुर, दुर्ग.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. सरोज, संयुक्त सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 अक्टूबर 2005

क्रमांक एफ-9-01/दो/गृह/05.—सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 जुलाई, 2005 को प्रश्नपत्र "दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया प्रथम एवं द्वितीय प्रश्नपत्र" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	अमृता सोनी	सहायक कलेक्टर	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
2.	श्रीमती संगीता पी.	सहायक कलेक्टर	प्रथम उच्चस्तर द्वितीय सश्रेय
3.	श्रीमती अलरमेलमंगेई दी.	सहायक कलेक्टर	प्रथम उच्चस्तर द्वितीय सश्रेय

2. निम्नांकित परीक्षार्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्नपत्र में अपेक्षित स्तर अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप उक्त प्रश्नपत्र में आगामी परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान की जाती है:—

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	प्रश्नपत्र (4)	स्तर (5)
1.	आर. प्रसन्ना	सहायक कलेक्टर	प्रथम	उच्चस्तर

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	श्री अमित कटारिया	सहायक कलेक्टर	द्वितीय	सश्रेय
3.	श्री अन्बलगन पी.	सहायक कलेक्टर	द्वितीय	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2005

क्रमांक एफ-9-10/दो/गृह/05.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 26 जुलाई, 2005 को प्रश्नपत्र "समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के)" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

सरल क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्रीमती अभिलाषा बघेल	पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक	सश्रेय
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
2.	कु. पुष्पा किरण कुजूर	जिला परियोजना अधिकारी	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2005

क्रमांक एफ-9-23/दो/गृह/05.—सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 28 जुलाई, 2005 में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

सरल क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	सुश्री सतरूपा साहू	राजस्व निरीक्षक	प्रथम एवं द्वितीय उच्चस्तर
2.	श्री आर. प्रसन्ना	सहायक कलेक्टर	सश्रेय

परीक्षा केंद्र बिलासपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	श्रीमती संगीता पी.	सहायक कलेक्टर	सश्रेय
4.	श्रीमती अलरमेलमंगेई दी.	सहायक कलेक्टर	सश्रेय
5.	श्री अमित कटारिया	सहायक कलेक्टर	सश्रेय
6.	श्री अन्बलगन पी.	सहायक कलेक्टर	सश्रेय

2. निम्नांकित परीक्षार्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्नपत्र में अपेक्षित स्तर अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप उक्त प्रश्नपत्र में आगामी परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान की जाती है:—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

क्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	प्रश्नपत्र (4)	स्तर (5)
1.	श्रीमती हिना अनिमेष नेताम	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम	सश्रेय
		परीक्षा केन्द्र जगदलपुर		
2.	श्रीमती रितु हेमनानी	नायब तहसीलदार	द्वितीय	निम्नस्तर

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2005

क्रमांक एफ-9-05/दो/गृह/05.—सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 26 एवं 27 जुलाई, 2005 को प्रश्नपत्र "प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया प्रथम प्रश्नपत्र भाग-बी, सी, द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्र" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

परीक्षा केन्द्र (बस्तर) जगदलपुर

अनु.क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	सुश्री सतरूपा साहू	राजस्व निरीक्षक	प्रथम, तृतीय निम्नस्तर, द्वितीय उच्च-स्तर.
2.	श्री बलीराम साहू	राजस्व निरीक्षक	प्रथम, द्वितीय, तृतीय निम्नस्तर
		परीक्षा केन्द्र बिलासपुर	
3.	श्रीमती संगीता पी.	सहायक कलेक्टर	प्रथम, द्वितीय, तृतीय सश्रेय
4.	श्रीमती अलरमेलमंगेई दी.	सहायक कलेक्टर	प्रथम, द्वितीय, तृतीय सश्रेय
5.	श्री अमित कटारिया	सहायक कलेक्टर	प्रथम, द्वितीय, तृतीय सश्रेय
6.	सुश्री ऋतु सेन	सहायक कलेक्टर	प्रथम, द्वितीय, तृतीय उच्चस्तर

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	श्री अन्बलगन पी.	सहायक कलेक्टर	प्रथम, तृतीय उच्चस्तर द्वितीय में सश्रेय
		परीक्षा केन्द्र रायपुर	
8.	श्रीमती हिना अनिमेष नेताम	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उच्चस्तर

2. निम्नांकित परीक्षार्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्नपत्र में अपेक्षित स्तर अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप उक्त प्रश्नपत्र में आगामी परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान की जाती है:—

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

सरल क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	प्रश्नपत्र (4)	स्तर (5)
1.	अमृता सोनी	सहायक कलेक्टर	प्रथम	उच्चस्तर
2.	आर. प्रसन्ना	सहायक कलेक्टर	द्वितीय	सश्रेय
3.	श्री अर्जुन कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक	द्वितीय	निम्नस्तर
4.	श्री हरिशंकर पटेल	राजस्व निरीक्षक	द्वितीय	निम्नस्तर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुब्रमणियम, सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2005

विषय :— उद्योग संचालनालय के सेटअप (पद संरचना) की स्वीकृति

क्रमांक एफ-1-7/2003/(6)/11.—इस विभाग के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 18-11-2003 के द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के स्वीकृत सेटअप (पदसंरचना) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है.

2. उपरोक्त ज्ञापन के संलग्न परिशिष्ट-1, में उद्योग संचालनालय छ.ग. एवं वाष्पयंत्र निरीक्षकालय हेतु पदों का बंटवारा के कालम-4 में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.

1. सं. क्र. 8 उप संचालक, वाष्पयंत्र वेतनमान रु. 10650-15850 के स्वीकृत 1 पद को समाप्त पढ़ा जावे.
2. सं. क्र. 10 निरीक्षक वाष्पयंत्र वेतनमान रु. 8000-13500 के स्वीकृत 2 पदों के स्थान पर तीन पद पढ़े जावें.

3. संदर्भित ज्ञापन द्वारा स्वीकृत सेटअप (पदसंरचना) के अन्य पद एवं शर्तें यथावत् रहेंगे.

4. उपसंचालक वाष्पयंत्र का एक पद समाप्त करने तथा निरीक्षक वाष्पयंत्र का अतिरिक्त एक पद स्वीकृत करने की सहमति वित्त विभाग की यू. ओ. टीप क्रमांक 1232/बजट-5/वित्त/चार/2005 दिनांक 21-10-2005 द्वारा प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शंकरराव ब्राह्मणे, उप-सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2005

क्रमांक 8366/2169/21-ब/छ.ग./05.— राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग में पदस्थ उप-सचिव श्री ए. के. सामन्तरे को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अस्थायी, स्थानापन्न रूप से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से इस विभाग में अतिरिक्त सचिव के पर पद नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2005

क्रमांक 3000/13/उवि/अधिसूचना/05.—चूंकि राज्य शासन की यह राय है कि औद्योगिक नीति 2004-09 के अंतर्गत राज्य में नवीन औद्योगिक इकाईयों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है.

अतएव छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्र. ग सन् 1949) की धारा-3 (बी.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार राज्य में स्थापित होने वाले केवल नवीन उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से निर्दिष्ट अवधि हेतु विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करती है:—

(क) लघु उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ-सामान्य क्षेत्र	1. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट. 2. अनुसूचित जाति/वर्ग द्वारा स्थापित जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योगों को 15 वर्ष तक छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.
श्रेणी ब-अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.

(ख) वृहद-मध्यम

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ-सामान्य क्षेत्र	1. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.
श्रेणी ब-अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र.	2. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.

(ग) मेगा प्रोजेक्टस-वृहद उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ-सामान्य क्षेत्र	1. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.
श्रेणी ब-अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र.	2. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.

(घ) मेगा प्रोजेक्टस-अति वृहद उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.

विद्यमान औद्योगिक इकाईयों की विस्तार परियोजनाओं को विद्युत शुल्क छूट की पात्रता नहीं होगी.

राज्य की औद्योगिक नीति 2001-06 के अंतर्गत यदि किसी निवेशक द्वारा जिन्होंने दिनांक 1-11-04 के पूर्व उद्योगों की स्थापना हेतु निर्धारित प्रभावी कदम उठा लिये गये हो, अर्थात्

(i) उद्योग हेतु भूमि का वैध आधिपत्य प्राप्त कर लिया गया हो.
(ii) प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनुसार शेड भवन का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया हो तथा
(iii) प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार प्लांट एवं
मशीनरी हेतु पक्का क्रय आदेश जारी कर दिया हो.

ऐसे निवेशकों के समक्ष निम्न दो विकल्प रहेंगे :—

विकल्प-अ

औद्योगिक नीति वर्ष 2001-06 के अधीन ऊर्जा विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं यथा क्र. 2348-49, 2350-51, 2352-53 दिनांक 21-6-02, क्रमांक 2370-71 दिनांक 25-6-02 तथा क्रमांक 3313-14 दिनांक 18-8-2003 के अंतर्गत पात्रता अनुसार विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट संबंधी सुविधा प्राप्त की जा सकती है.

विकल्प-ब

निवेशक द्वारा दिनांक 1-11-2004 के पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किये जाने की स्थिति में औद्योगिक नीति वर्ष 2004-09 के अंतर्गत विद्युत शुल्क में छूट का लाभ प्राप्त की जा सकती है.

निवेशक को विकल्प-अ अथवा विकल्प-ब के अंतर्गत छूट के लाभ हेतु उद्योग विभाग से अनुशंसित व अभिप्रमाणित आवेदन मुख्य विद्युत निरीक्षकालय में प्रस्तुत करना होगा.

ऐसे उद्योगों/निवेशकों के मामले मे जिन्हें पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के अंतर्गत मुख्य विद्युत निरीक्षकालय द्वारा जारी प्रमाण-पत्र अनुसार विद्युत शुल्क में छूट की सुविधा दी जा चुकी है, को पूर्व निर्दिष्ट अवधि के लिए छूट मिलती रहेगी तथा ऐसे उद्योगों/निवेशकों को औद्योगिक नीति वर्ष 2004-09 के अंतर्गत छूट के लाभ की पात्रता नहीं रहेगी.

उपरोक्त तालिका अनुसार उद्योग/निवेशक को विद्युत शुल्क में भुगतान की छूट के लाभ हेतु उद्योग विभाग के सक्षम प्राधिकारी से शुल्क में छूट की पात्रता हेतु आवश्यक प्रमाण मुख्य विद्युत निरीक्षकालय में प्रस्तुत करना होगा.

औद्योगिक नीति में निवेश की सीमा, उद्योगों के संवर्ग एवं उद्योगों के नवीन होने तथा विद्यमान औद्योगिक इकाई विस्तार इकाई न होने आदि से संबंधित प्रमाण-पत्र आवेदक को उद्योग विभाग के सक्षम अधिकारी से अभिप्रमाणित प्रमाण-पत्र विद्युत शुल्क में छूट हेतु आवेदन के साथ मुख्य विद्युत निरीक्षकालय में प्रस्तुत करना होगा. औद्योगिक इकाई में औद्योगिक नीति के प्रावधानों के अनुरूप स्थानीय लोगों को रोजगार देने संबंधी प्रावधानों को संतुष्ट करने का दायित्व निवेशक पर होगा एवं संबंधित जिले के कलेक्टर से इस हेतु प्रमाण-पत्र निवेशक को अनिवार्यत: प्रस्तुत करना होगा. औद्योगिक नीति में परिभाषित किसी भी शर्त के उल्लंघन के पाये जाने पर छूट की पात्रता स्वत: समाप्त हो जायेगी एवं रियायत की एवज में हुए लाभ की वसूली भू-राजस्व के बकाया हेतु लागू प्रावधानों के अंतर्गत की जायेगी. विद्युत शुल्क में छूट की पात्रता के संबंध में ऊर्जा विभाग का निर्णय अंतिम होगा.

यह अधिसूचना दिनांक 1-11-2004 से लागू हुई मानी जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2005

क्र. एफ—4-131/राजस्व/2005.—छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 2 की कंडिका (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा जिंदल पावर लिमिटेड को 1000 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट के लिए भूमिगत पाइपलाईन बिछाने हेतु निजी भूमि के उपयोग के अधिकारों के अर्जन के लिए उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों के पालन करने के लिए नीचे दी गई अनुसूची के कालम (1) में वर्णित अधिकारी को कालम (2) में वर्णित क्षेत्र के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करती है:—

अनुसूची

क्र.	अधिकारी का पदनाम (1)	क्षेत्राधिकारिता (2)
1.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग-घरघोड़ा जिला-रायगढ़.	अनुविभाग-घरघोड़ा जिला-रायगढ़.

No. F-4-131/Revenue/2005.—In exercise of the powers conferred by the clause (a) of section (2) of the Chhattisgarh Underground Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2004 (No. 7 of 2004) the state Government, hereby appoint as competent authority the officer mentioned in column (1) for the area mentioned against them in column (2) of the schedule given below to perform the functions of the competent Authority under the said Act for acquisition of right of user in private Land for laying underground pipelines by the Jindal Power Limited for the 1000 mw Thermal Power Plant :—

SCHEDULE

S. No.	Designation of Officer (1)	Jurisdiction on the area (2)
1.	Sub Divisional Officer (Revenue) Gharghoda Distt.-Raigarh.	Sub Division-Gharghoda Distt.-Raigarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. सी. सिन्हा, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 सितम्बर 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1336.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसकें सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	पेण्ड्री प.ह.नं. 14	0.028	कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	पेण्ड्री माइनर नं. 4 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 अक्टूबर 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1314.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	भुरसीडीह प.ह.नं. 13	0.765	कायपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 6, सक्ती.	भुरसीडीह माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 अक्टूबर 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1315.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	लछनपुर प.ह.नं. 8	0.072	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 6, सक्ती.	लछनपुर माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 अक्टूबर 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1316.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	कुम्हारीकला प.ह.नं. 8	0.032	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 6, सक्ती.	लछनपुर उप शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 अक्टूबर 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1317.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	सरवानी प.ह.नं. 14	0.036	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 6, सक्ती.	सरवानी माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 अक्टूबर 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1318.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	रानीगांव प.ह.नं. 11	0.044	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 6, सक्ती.	भक्कूडेरा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 अक्टूबर 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1319.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	रानीगांव प.ह.नं. 11	0.121	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 6, सक्ती.	हरदी शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 अक्टूबर 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1321.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	सकरेली (बा) प.ह.नं. 14	1.593	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 6, सक्ती.	सकरेली माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 अक्टूबर 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1322.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	रायपुरा प.ह.नं. 2	0.085	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 6, सक्ती.	सराईपाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 अक्टूबर 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1323.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	डेरागढ़ प.ह.नं. 11	0.305	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 6, सक्ती.	भकूडेरा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 अक्टूबर 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1324.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	छिता पंडरिया प.ह.नं. 1	0.129	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 6, सक्ती.	छिता पंडरिया माइनर नं. 1 नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 29 अक्टूबर 2005

क्रमांक 8789/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	मंडलाटोला प.ह.नं. 04	2.37	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	मंडलाटोला जलाशय के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 अक्टूबर 2005

क्रमांक 8790/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	भरदागोंड प.ह.नं. 18	103.76	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	पंडरिया जलाशय के अंतर्गत डूबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 अक्टूबर 2005

क्रमांक 8792/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	मुण्डाटोला प.ह.नं. 9	1.42	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	मुण्डाटोला जलाशय के अंतर्गत बायीं तट नहर नाली हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/10/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	देवड़ा	0.376	कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र. मं. ग्रा. स. यो.) जगदलपुर.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (देवड़ा मार्ग)

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर/कार्यपालन अभियंता, परि. क्रियान्वयन इकाई (प्र.मं. ग्रा. स. यो.) जगदलपुर, जि. बस्तर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/11/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	बड़ेआमाबाल	0.480	कार्यपालन अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र. मं. ग्रा. स. यो.) जिला- बस्तर.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर/कार्यपालन अभियंता, परि. क्रियान्वयन इकाई (प्र.मं. ग्रा. स. यो.) जगदलपुर, जि. बस्तर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/12/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	सुधापाल	0.080	कार्यपालन अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, जिला-बस्तर	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर/कार्यपालन अभियंता, परि. क्रियान्वयन इकाई (प्र.मं. ग्रा. स. यो.) जगदलपुर, जिला बस्तर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/14/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	गुनपुर	0.124	कार्यपालन अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र. मं. ग्रा. स. यो.) जिला- बस्तर.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर/कार्यपालन अभियंता, परि. क्रियान्वयन इकाई (प्र.मं. ग्रा. स. यो.) जगदलपुर, जिला बस्तर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/15/अ-82/05-060.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है,.अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	नारायणपाल	0.020	कार्यपालन अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र. मं. ग्रा. स. यो.) जिला- बस्तर.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर/कार्यपालन अभियंता, परि. क्रियान्वयन इकाई (प्र.मं. ग्रा. स. यो.) जगदलपुर, जिला बस्तर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/16/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	कुरुसपाल	0.124	कार्यपालन अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र. मं. ग्रा. स. यो.) जिला- बस्तर.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर/कार्यपालन अभियंता, परि. क्रियान्वयन इकाई (प्र.मं. ग्रा. स. यो.) जगदलपुर, जिला बस्तर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/17/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	चमिया	0.512	कार्यपालन अभियंता (सह सदस्य सचिव) परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र. मं. ग्रा. स. यो.) जगदलपुर.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (चमिया मार्ग) हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर/कार्यपालन अभियंता, (सह सदस्य सचिव) परियोजना क्रियान्वयन इकाई, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/18/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	सोनारपाल	0.284	कार्यपालन अभियंता (सह सदस्य सचिव) परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र. मं. ग्रा. स. यो.) जिला - बस्तर.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (सोनारपाल मार्ग) हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर/कार्यपालन अभियंता, परि. क्रियान्वयन इकाई (प्र.मं. ग्रा. स. यो.) जगदलपुर जिला बस्तर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/19/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	सिवनी	0.180	कार्यपालन अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र. मं. ग्रा. स. यो.) जिला- बस्तर.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (सिवनी मार्ग).

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर/कार्यपालन अभियंता, परि. क्रियान्वयन इकाई (प्र.मं. ग्रा. स. यो.) जगदलपुर जिला बस्तर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/20/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	मुण्डागांव	0.128	कार्यपालन अभियंता परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र. मं. ग्रा. स. यो.) जिला- बस्तर	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मुंडागांव सड़क हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर/कार्यपालन अभियंता, परि. क्रियान्वयन इकाई (प्र.मं. ग्रा. स. यो.) जगदलपुर जिला बस्तर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/21/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	छोटेआमाबाल	0.572	कार्यपालन अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र. मं. ग्रा. स. यो.) जिला- बस्तर.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत छोटेआमाबाल मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर/कार्यपालन अभियंता, परि. क्रियान्वयन इकाई, (प्र. मं. ग्रा. स. यो.) जगदलपुर जिला बस्तर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/22/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	पूर्वटिमरा	0.032	कार्यपालन अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र. मं. ग्रा. स. यो.) जिला- बस्तर.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर/कार्यपालन अभियंता, परि. क्रियान्वयन इकाई (प्र.मं. ग्रा. स. यो.) जगदलपुर जिला बस्तर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/23/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	नियानार	0.512	कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर.	तुसेल तालाब योजना हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर/कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/24/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	नियानार	0.644	कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर.	डोंगाम जलाशय योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर/कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/38/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	कोरपाल	5.826	कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर.	तुसेल तालाब निमार्ण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर/कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 6 अक्टूबर 2005

क्रमांक 1320/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-झर्रा, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.061 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
507/15	0.061
योग	0.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- लखाली डि. ब्यू. के माइनर नं. 9 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 अक्टूबर 2005

क्रमांक 1325/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पेण्डरी, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.053 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	389/1	0.053
योग	1	0.053

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कोसला माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 अक्टूबर 2005

क्रमांक 1326/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कोसला, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.198 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	105/31	0.020
	105/2	0.057
	154/3	0.028
	157/3	0.093
योग	4	0.198

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कोसला माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 अक्टूबर 2005

क्रमांक 1327/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-डुड़गा, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.053 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
276/1	0.053
योग 1	0.053

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- डुड़गा माइनर नं. 3 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 अक्टूबर 2005

क्रमांक 1328/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-चिस्दा, प. ह. नं. 36
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.016 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2397/2	0.016
योग	0.016

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- चिस्दा माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 अक्टूबर 2005

क्रमांक 1329/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-बहेराडीह, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.012 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
44	0.012
योग	0.012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिवनी माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 अक्टूबर 2005

क्रमांक 1330/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-चाम्पा

(ग) नगर/ग्राम-नवागांव, प. ह. नं. 8

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.538 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	34	0.336
	29	0.534
	28	0.413
	27/7	0.150
	27/6	0.474
	27/1	0.073
	18	0.190
	17	0.040
	16/1	0.101
	16/2	0.134
	15	0.065
	8	0.336
	6	0.227
	5	0.243
	3	0.214
	7	0.008
योग	16	3.538

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इस्केप चैनल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 अक्टूबर 2005

क्रमांक 1331/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-सरहर, प. ह. नं. 16

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.568 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1048/2	0.101
	1048/6	0.466
	1048/7	0.405
	1048/4, 1048/5	0.016
	1045/1	0.263
	1044/5	0.364
	1044/1	0.405
	1040/8	0.267
	1039/5	0.020
	1039/1	0.081
	1039/4	0.125
	1036/1, 1036/2	0.287
	1036/7	0.121
	1036/4	0.049
	959/1	0.182
	958/2	0.012
	959/1	0.073
	959/3	0.154
	960	0.012
	956/6	0.146
	956/3	0.109
	956/1	0.421
	956/8	0.239
	956/5	0.121
	956/7	0.121
	1040/2	0.004
	1040/4	0.004
योग	27	4.568

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इस्केप चैनल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 21 अक्टूबर 2005

क्रमांक 1332/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-दहिदा, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.255 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
299/1, 299/2, 312/1	0.255
योग	0.255

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरबसपुर शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 21 अक्टूबर 2005

क्रमांक 1333/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-चिस्दा, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.117 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2513/1, 2513/2, 2513/3	0.109
2512	0.008
योग	0.117

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- चिस्दा माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 21 अक्टूबर 2005

क्रमांक 1334/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-हसौद, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.146 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1609	0.061

(1)	(2)
1611	0.077
1618/1, 1618/4	0.008
योग	0.146

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- चिस्दा माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 21 अक्टूबर 2005

क्रमांक 1335/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-तालदेवरी, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.024 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1920	0.024
योग 1	0.024

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सेमरिया वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणी बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 18 अक्टूबर 2005

क्रमांक 7105/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया.
- (ख) तहसील-बैकुण्ठपुर
- (ग) नगर/ग्राम-छिन्दिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.64 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2	0.05
3	0.05
4	0.06
7	0.07
12/1	0.10
13	0.07
14	0.07
33/2	0.17
योग	0.64

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत सड़क निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमीर अली, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 28 अक्टूबर 2005

क्रमांक 8762/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-दत्तेंगाटोला; प.ह.नं. 55
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.527 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
550	0.281
571	0.372
575	0.162
578/2	0.172
574	0.081
578/3	0.809
585	0.061
615/1	0.061
587	0.104
636	0.992
615/2	0.120
617/2	0.009
640	0.061
637	0.160
537/1	0.049
576	0.081
551	0.308
581	0.740
553	0.061
554	0.441
556	0.914
557/1	0.012
557/3	0.012
617/1	0.174
638/3	0.210
557/5	0.008
557/2	0.012
638/1	0.073
569	0.178
566	0.174
562	0.259
555	0.527
578/1	0.809
618/5	0.097
618/2	0.104
635	0.004
634/6	0.049
642/1	0.029
538	0.121
542/1	0.238
557/4	0.012
638/2	0.162
559	0.909
579	0.324
563	0.105
577	0.283
564	0.093
570	0.121
572	0.142
565	0.186
573	0.061
योग 51	11.527

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुमरिया नाला बैराज के डूबान निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 अक्टूबर 2005

क्रमांक 8763/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-लूलीकसा, प.ह.नं. 54
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.021 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	347	0.270
	348	0.128
	357/1	0.183
	358/1	0.405
	358/2	0.081
	359/1	0.260
	364/1	0.352
	365/7	0.096
	365/8	0.004
	366/1	0.288
	366/4	0.870
	367/2	0.084
योग	12	3.021

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुमरिया नाला बैराज के डूबान निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 अक्टूबर 2005

क्रमांक 8764/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-कोलियारी, प.ह.नं. 56
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.873 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	19/1	0.303
	19/2	0.095
	19/3	0.038
	19/7	0.120
	19/8	0.192
	19/9	0.081
	289	0.008
	331/2	0.036
योग	8	0.873

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुमरिया नाला बैराज के डूबान निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 अक्टूबर 2005

क्रमांक 8765/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-राजनांदगांव

(ग) नगर/ग्राम-जोशीलमती, प.ह.नं. 55

(घ) लगभग क्षेत्रफल-38.653 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
7/3	0.322
7/5	0.056
49/19	0.286
49/22	0.141
49/24	0.121
49/28	0.121
51/2	0.216
54	0.778
34/21	0.117
241/1	0.271
33/5	0.150
33/1	0.061
53/2	0.336
53/5	0.072
5/4	0.083
3/2	0.061
49/1	0.222
49/20	0.283
4/6	0.158
4/5	1.101
5/5	0.466
45	0.182
5/7	0.089
5/8	0.085
5/9	0.045
5/10	0.174
33/4	0.202
53/1	0.064
44/2	0.210
49/26	0.161
31/1, 32/1	0.121
31/3, 32/3	0.186
5/1	0.093
5/2	0.093
229/1	0.321
33/5	0.450
33/8	0.036
53/1	0.012
34/3	0.796
34/18	0.135
34/23	0.101
34/24	0.385
34/25	0.286
237/1	0.134
49/18	0.014
49/21	0.243
49/23	0.263
49/25	0.029
49/27	0.161
48/6	0.282
48/8	0.069
42	0.202
46	0.129
34/10	0.607
34/16	0.304
48/1	0.311
5/3	0.498
38	0.077
40	0.134
218/2	0.020
49/17	0.219
50	0.373
39/2	0.049
48/3	0.162
229/2	0.081
4/3	0.186
44/3	0.137
44/4	0.186
44/5	0.053
43	0.575
53/3	0.405
56/1	0.008
6/7	0.247
55/5	0.162
51/1	0.208
34/30	0.226

(1)	(2)
34/32	0.239
55/2, 55/3	0.212
51/3	0.216
53/4	0.008
34/6	0.629
3/1	0.061
4/2	0.409
34/22	0.652
214	0.462
216	0.506
33	2.239
34/2	0.008
34/29	0.140
34/31	0.162
33/2	0.061
33/3	0.385
49/15	0.184
39/1	0.097
49/3	0.364
49/4	0.405
49/5	0.405
49/7	0.194
49/8	0.142
49/10	0.101
49/12	0.121
49/14	0.134
49/16	0.202
34/34	0.139
4/7	0.471
34/4	0.898
34/8	0.607
34/37	0.061
7/1	0.162
34/19	0.401
34/20	0.227
34/35	2.225
228/1	0.340
228/2	0.135
228/3	0.114
241/3	0.081
238/2	0.160
237/2	0.320
218/4	0.020
28/1	0.320
29	0.089
30	0.178
231/7	0.061
231/8	0.081
231/9	0.081
231/11	0.081
34/11	0.153
34/39	0.061
34/38	0.157
34/41	0.077
33/7	0.190
49/2	0.445
49/6	0.202
49/9	0.162
49/13	0.057
7/9	0.061
44/1	0.069
44/6	0.159
44/9	0.073
44/12	0.049
44/7	0.251
44/10	0.109
7/11	0.101
44/8	0.210
44/11	0.089
44/13	0.061
7/12	0.087
5/6	0.150
31/2, 32/2	0.438
34/5	0.174
48/5	0.133
48/7	0.242
219/2	0.101
48/4	0.303
241/4	0.255
48/2	0.729
218/3	0.049
182	0.299
185	0.069
41	0.271
222/1	0.032
225	0.186
योग 163	38.653

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुमरिया नाला बैराज के डूबान निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 अक्टूबर 2005

क्रमांक /भू-अर्जन/2005/8791.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम-दुल्लापुर, प.ह.नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.64 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	51/8	2.00
	51/9	0.75
	51/10	1.07
	55	3.82
योग	4	7.64

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बसावर टारबांध के अंतर्गत डूबान हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 31 अक्टूबर 2005

क्रमांक /8831भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-बजरंगपुर नवागांव, प.ह.नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-32.07 3/4 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	303/1 क	4.90
	304/1 ख	2.50
	304/1 घ	0.31
	304/1 ग	7.00
	303/1 ग	1.00
	303/1 छ	1.00
	304/1 क	1.00
	305/1 क	13.34
	305/1 ख	1.00
	303/3	0.02 3/4
योग	10	32.07 3/4

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छ. ग. पुलिस कर्मचारी के प्रशिक्षण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 7 नवम्बर 2005

क्रमांक 8910/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-राजनांदगांव

(ग) नगर/ग्राम-तुमड़ीलेवा, प.ह.नं. 59

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.443 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
222/1	0.156
225	0.225
255	0.125
256/1	0.136
257	0.168
282	0.97
283/6	0.008
283/13	0.113
283/7	0.93
283/14	0.130
283/8	0.101
283/10	0.008
283/15	0.081
291/1	0.202
292	0.101
296	0.081
297/1	0.118
170	0.048
173	0.024
176	0.056
169	0.012
180	0.012
184/6	0.085
181	0.085
186	0.113
184/7	0.065
योग 26	2.443

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैरॉज परियोजना के चिरचारीखुर्द लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, मोंगरा बैरॉज परियोजना जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2005

क्रमांक अ.वि.अ./भू.अ./प्र.क्र. 09/अ-82 वर्ष 2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-तिल्दा

(ग) नगर/ग्राम-जोता

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.315 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
294/1	0.065
294/3	0.085
294/2	0.057
293/2	0.040
293/4	0.032
293/6	0.012
293/9	0.016
293/15	0.008
योग	0.315

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-जोता वितरक शाखा नहर के जोता माइनर क्र. 1 नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2005

क्रमांक/अ.वि.अ./भू.अ./प्र.क्र. 3/अ-82 वर्ष 2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-कलई, प. ह. नं. 25/58
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.09 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
558	0.06
561	0.03
योग	0.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-संधारी नाला में पुल के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2005

क्रमांक/अ.वि.अ./भू.अ./प्र.क्र. 4/अ-82 वर्ष 2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-कोटनी, प. ह. नं. 79
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.09 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
722	0.09
योग	0.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-कोल्हान में कोटनी-धमनी पुल के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2005

क्रमांक/अ.वि.अ./भू.अ./प्र.क्र. 5/अ-82 वर्ष 2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-गुमा, प. ह. नं. 54
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.06 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
878	0.06
योग	0.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-पतालु में पुल के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2005

क्रमांक/अ.वि.अ./भू.अ./प्र.क्र. 6/अ-82 वर्ष 2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-परसकोल, प. ह. नं. 54
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.37 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
16/1	0.20
17	0.13
18/1	0.02
18/2	0.05
27	0.13
28	0.12
योग 6	0.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-परसकोल पुल के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 6 अक्टूबर 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2004-2005/1630.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-छुआरीपाली, प. ह. नं. 29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.448 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
288/1	0.008
289/1	0.008
298/1	0.121
299/1	0.008
319	0.069
320	0.117
323	0.117
योग	0.448

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-किंकारी जलाशय बायीं तट नहर का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 17 अक्टूबर 2005

क्रमांक/508/रा.नि./05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
- (ख) तहसील-पंडरिया
- (ग) नगर/ग्राम-कोयलारीकला, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.99 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
397	0.049
398/1	0.04
398/2	0.09
398/3	0.10
398/4	0.10
399	0.50
401/2	0.15
400	0.16
401/1	0.15
424	0.21
योग 10	1.99

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-हैम्प दायीं तंट नहर (धनौरा माइनर) निर्माण से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 7 नवम्बर 2005

क्रमांक 2494/अ-82/सन् 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-संबलपुर, प.ह.नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-17.40 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
355	0.04
357/1	0.08
357/2	0.01
353/8	0.02
353/9	0.03
353/7	0.01
370	0.02
371	0.01
377	0.07
395	0.02
396/2	0.04
397	0.02
398	0.02
400	0.01
402	0.01
401	0.01
406	0.02
128	0.19
129	0.10
130	0.03
167	0.16
162	0.12
186/1	0.10
183	0.13
180/1	0.05

(1)	(2)
225	0.02
222	0.09
181	0.17
224/1	0.24
182	0.01
217	0.09
216	0.05
214	0.12
312	0.09
213	0.12
314	0.13
313	0.06
311	0.06
310	0.06
305/2	0.25
305/7	0.11
305/6	0.17
280	0.11
279/1	0.05
279/2	0.05
278	0.07
272/4	0.05
272/1	0.13
271	0.05
270	0.19
637/5	0.06
637/4	0.07
637/3	0.08
937	0.07
933	0.08
936	0.07
935	0.10
934	0.09
932	0.13
931/1	0.09
721	0.08
722/3	0.29
722/7	0.06
722/5	0.26
722/6	0.14
722/8	0.06
130	0.08
131/2	0.04
134	0.26
122	0.06
117	0.20
115	0.23
79	0.13
62	0.09
60	0.14
59/2	0.05
58/3	0.11
58/2	0.08
57	0.03
42	0.30
53/2	0.08
53/3	0.04
51/13	0.10
51/9	0.10
51/4	0.01
51/5	0.10
51/2	0.11
51/1	0.16
37	0.04
59/3	0.01
103	0.22
104	0.19
[illegible]	0.09
145	0.03
144	0.08
143	0.09
142	0.11
108	0.01
110	0.10
137	0.05
136	0.08
135/5	0.15
135/4	0.14
135/2	0.14
135/6	0.12
133	0.05
134	0.02
107	0.01
96/1	0.16
96/3	0.21
678	0.41

(1)	(2)
95	0.55
94	0.05
675/1	0.21
773/2	0.16
766/1	0.01
675/3	0.23
766/4	0.02
675/4	0.06
675/7	0.01
766/3	0.02
675/6	0.06
773/1	0.20
773/3	0.08
674	0.08
676	0.10
677/1	0.01
677/2	0.29
679	0.29
767	0.61
772/2, 3, 4, 5, 6	0.17
774	0.19
775/2	0.03
776	0.23
777	0.13
355	0.04
357/1	0.23
357/2	0.18
367	0.02
363/10	0.07
362	0.17
363/4	0.08
363/7	0.08
363/6	0.11
936	0.03
935	0.09
955/2	0.06
955/3	0.09
931/1	0.08
931/3	0.06
930	0.06
923	0.16
976/1	0.11
976/2	0.14
975/1	0.26
975/2	0.09
975/3	0.09
975/4	0.09
975/5	0.08
964/1	0.14
964/2	0.11
964/3	0.11
964/4	0.09
934/1394	0.09
योग	17.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सम्बलपुर उद्‌वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत पाईप लाईन, मुख्य नहर माइनर क्रमांक 1, 2, 3 एवं सब माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 7 नवम्बर 2005

क्रमांक 2496/अ-82/सन् 2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-नलपानी, प.ह.नं. 36
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-35.04 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
64	0.96

(1)	(2)
69	1.19
72	1.07
73/1	0.81
73/2	0.12
74	0.55
75	0.15
76	0.39
78	0.56
68	0.12
79	0.33
88	0.42
80	0.69
94	1.75
77	0.46
50	0.51
81	1.92
95	0.10
82	0.63
83/2	1.77
83/1	3.74
83/3	1.14
83/4	0.32
84/1	0.34
137	0.45
84/2	0.36
85	0.19
86	1.00
98/2	0.20
99	0.27
103	1.37
87	0.83
96	2.14
89	0.26
90	1.65
91	1.47
93	0.69
104	0.75
97	0.15
98/1	0.33
100/1	0.28
100/2	0.12
106	0.03
101	0.68
105	0.31
107	0.34
134/1	1.02
108/1	0.11
योग	35.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- खोलझर जलाशय क्र. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2005

क्रमांक 01/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-कुनकुरी
- (ग) नगर/ग्राम-केराडीह, प.ह.नं.-12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.013 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
123	0.085

(1)	(2)
127/1	0.040
131	0.085
179	0.036
201/2	0.040
229/8	0.069
229/15	0.012
246/3	0.069
231/2	0.016
124	0.028
128	0.174
177/2, 177/3	0.073
217	0.222
211	0.081
229/9	0.036
231/1	0.040
247/1	0.057
125	0.293
130	0.032
184	0.162
185/1	0.056
212/1	0.060
229/14	0.085
232/1	0.137
212/2	0.025
योग 25	2.013

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तुम्बाजोर व्यपर्वतन योजना के डउगांव माइनर चैन क्रमांक 0.58 तक के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2005

क्रमांक 06/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-कुनकुरी
- (ग) नगर/ग्राम-देववोरा, प.ह.नं.-13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.823 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
233	0.105
205	0.004
208/6	0.121
208/2	0.174
156	0.089
61	0.045
65	0.368
208/15	0.053
208/7	0.012
161	0.101
155	0.072
206	0.336
208/14	0.057
208/3	0.113
72	0.032
70	0.141
योग 16	1.823

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बलजोरा जलाशय के बायीं मुख्य नहर चैन क्रमांक 7.50 से 52.50 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2005

क्रमांक 09/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जशपुर
(ख) तहसील-कुनकुरी
(ग) नगर/ग्राम-कमतरा, प.ह.नं.-13
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.205 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
418	0.089
405	0.138
413	0.057
407	0.020
417	0.134
415/2	0.073
412	0.045
399	0.207
416	0.073
414	0.069
406	0.300
योग 11	1.205

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बलजोरा जलाशय के बायीं मुख्य नहर चैन क्रमांक 136 से 161 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2005

क्रमांक 10/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जशपुर
(ख) तहसील-कुनकुरी
(ग) नगर/ग्राम-खण्डसा, प.ह.नं.-14
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.003 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
03	0.186
09	0.125
14/2	0.012
24/2	0.069
21/4	0.158
134/3	0.105
135/1	0.081
135/2	0.081
04/2	0.085
26	0.020
15/2	0.012
22/2	0.057
16	0.068
142/1	0.045
144/1	0.225
144/2	0.224
05	0.081
27	0.178
23	0.012
25/8	0.020
133/2	0.045
143	0.057
22/1	0.057
योग 23	2.003

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बलजोरा जलाशय योजना के दायीं मुख्य नहर चैन क्रमांक 02 से 52.50 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2005

क्रमांक 11/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जशपुर

(ख) तहसील-कुनकुरी

(ग) नगर/ग्राम-कोमडो, प.ह.नं.-14

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.106 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	06	2.275
	18	0.230
	14	0.162
	07	0.230
	40/1	0.045
	17/1	0.162
	15/1	0.002
योग	7	1.106

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बलजोरा जलाशय योजना के दायीं मुख्य नहर चैन क्रमांक 52.50 से 78 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2005

क्रमांक 17/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जशपुर

(ख) तहसील-कुनकुरी

(ग) नगर/ग्राम-धौरासांड, प.ह.नं.-26

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.645 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1/1, 1/3, 1/4	0.426
	1/2,	0.021
	8/3	0.195
	13	0.105
	11/13	0.081
	105/2	0.032
	8/5	0.270
	6/1	0.081
	7/1	0.012
	9/1	0.142
	12	0.162
	11/17	0.081
	11/16	0.206
	8/6	0.251
	1/3, 1/4	0.105
	20/1	0.049
	14	0.065
	11/3	0.081
	11/5	0.081
	8/4	0.235
योग	20	2.645

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हल्दीमुण्डा व्यपवर्तन योजना के दायीं मुख्य नहर चैन क्र. 635 से 658 तक के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/14/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बोरीगांव, प. ह. नं. 42
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.937 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
524	0.016
529	0.303
530	0.469
550	0.149
योग	0.937

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मूली व्यपवर्तन योजना (मुख्य नहर).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/16/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बारदा, प. ह. नं. 43
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.75 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
30	0.08
31	0.38
37	0.09
38	0.04
39	0.23
40	0.04
44	0.60
41	0.02
43	0.04
48	0.42
120	0.13
176	0.13
177	0.08
181	0.34
185	0.14
186	0.11
223	0.11
187	0.32
224	0.28
200	0.13
201	0.10
221	0.59
229	0.30
235/1	0.05
योग	4.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मूली व्यपवर्तन योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/20/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बस्तर
(ख) तहसील-जगदलपुर,
(ग) नगर/ग्राम-बोरीगांव, प. ह. नं. 42
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.19 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
504	0.14
505	0.22
550	0.45
529	0.30
544	0.08
योग	1.19

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मूली व्यपवर्तन योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/27/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बस्तर
(ख) तहसील-जगदलपुर
(ग) नगर/ग्राम-टलनार, प. ह. नं. 50
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.185 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
466	0.185
योग	0.185

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पीठापुर तालाब के नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2005

प्र. क्र. 14/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
(ग) नगर/ग्राम-कोलबिर्रा, प. ह. नं. 17
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.487 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
166	0.024
239/7	0.008
273	0.089
209/2, 210, 212/3	0.202
265, 279, 280	0.300
154/5	0.049
162	0.097
163/1	0.040
251/1	0.036
122/6	0.162
154/3	0.049
154/1	0.049
207, 208	0.020
100/4, 209/1, 212/4	0.081
164, 165/2, 159/2	0.198
122/5	0.057
154/2	0.049
154/4	0.049
282/1	0.020
159/1, 165/1	0.061
179/2, 180	0.061
211/1	0.045
239/1, 239/3	0.121
264/1	0.065
250	0.105
224/2	0.405
251/2	0.045
योग 26	2.487

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोवर सोन व्यपवर्तन नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.